कार्यालय– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आगरा।

पत्रांक / मान्यता / अं0मा0 / हि0मा0 / 13535–89 / 2020 दिंनांक 15.3.2020

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा।

सेवा में,

प्रबन्धक,
जे0 डी0 एन0 स्कूल,
बाग रोहता,ग्वालियर रोड
आगरा।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

शासनादेश संख्या–419 / 79–6–2013–18(20) / 91 शिक्षा अनुभाग 6 लखनऊ दिनांक 8 मई 2013 के कम में आपके तारीख 4–07–2019 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात् पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं जे0 डी0 एन0 स्कूल बाग रोहता,ग्वालियर रोड आगरा को तारीख 01–04–2020 से 01–04–2023 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठवीं तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रुप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं हैं।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडौस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेष प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा।ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी केपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता –पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेष देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 5 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निमनलिखित सुनिष्चित करेगा।:–

क्रमषः...........2 पर

MANAGER
J. D. N. SCHOOL
Bagh Rohta, Gwalior Road, Agra

PRINCIPAL
J. D. N. SCHOOL
Bagh Rohta, Gwalior Road, Agra

(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक ,किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

(2) किसी भी बालक को षारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःषक्तता ग्रस्त / विषेष आवष्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(6) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगें।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है ।

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया--कलापों में नियोजित नही करेंगें।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल --6070 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्रफल --1500 वर्ग मी0
कीडा स्थल का क्षेत्रफल --4000 वर्ग मी0
कक्षाओं की संख्या --12
प्राध्यापक--सह--कार्यालय--सह भंडागार के लिए कक्ष--01--01
बालक और बालिकाओ के लिए पृथक शौचालय-- 04--04
पेयजल सुविधा--समर सेबिल / टंकी
मिड--डे--मील पकाने के लिए रसोई-- 01
बाधारहित पहुँच-- डाबर रोड

अध्यापन पठन सामग्री / कीडा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता है

क्रमश..............3 पर

MANAGER
J. D. N. SCHOOL
Bagh Rohta, Gwalior Road, Agra

PRINCIPAL
J. D. N. SCHOOL
Bagh Rohta, Gwalior Road, Agra

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा हैं।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति,व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जायेगा।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउटेंट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जायेंगे। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्याक 13535–89 है। कृप्या इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस सख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय –समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है,जो मान्यता सम्बन्धों शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, तो सुनिश्चित किया जाए।
17. प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दा से स्थान उपलब्ध होगा। प्रत्येक कक्षा–कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रुप से होगी। यदि कक्षा–कक्ष के माप के अनुसार बच्चो का प्रवेश नहीं किया जायेगा अर्थात अधिक बच्चे प्रवेश किए जायेंगें तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी।
18. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला शिक्षा अधिकारी/
~~बेसिक~~ शिक्षा अधिकारी,
आगरा।
तद्दिनांक

पृ0सं0/मान्यता/ 13535–89 /2016–17
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0 प्र0 निशातगंज ,लखनऊ।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0 प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक),शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 इलाहाबाद।
4. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आगरा
5. समाज कल्याण अधिकारी, जनपद, आगरा
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी(ग्रमीण/नगर)जनपद आगरा।

जिला शिक्षा अधिकारी
आगरा।

MANAGER
J. D. N. SCHOOL
Bagh Rohta, Gwalior Road, Agra

PRINCIPAL
J. D. N. SCHOOL
Bagh Rohta, Gwalior Road, Agra